प्रेषक,

शिक्षा निदेशक (उ०शि०) उ०प्र०,
शिक्षा डिग्री अर्थ-1 अनुभाग,
इलाहाबाद।

सेवा में,

✓ प्रबन्धक/सचिव/प्राधिकृत नियंत्रक,
सकलडीहा डिग्री कालेज, महाविद्यालय,
सकलडीहा; वाराणसी

पत्रांक डिग्री अर्थ-1/ 13782 /88 दिनांक 11-1-89

विषय:- विषयों के अतिरिक्त पदों के सृजन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाविद्यालय के पत्रांक 4204 दिनांक 20-4-88 द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र पर विचारोपरान्त आपके महाविद्यालय के लिए शिक्षकों के निम्नांकित पदों के सृजन की स्वीकृति उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 60-क (6) (ख) के अन्तर्गत प्रदान की जाती है:-

क्र०सं०	प्रवक्ता पद के विषय का नाम	पद संख्या	वेतनक्रम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1–	हिन्दी	एक पद	2200–4000	
1. 2–	अंग्रेजी	एक पद	2200–4000	
3–	संस्कृत	एक पद	2200–4000	
2. 4–	मनोविज्ञान	एक पद	2200–4000	
3. 5–	सैन्य विज्ञान	एक पद	2200–4000	
6–	राजनीति शास्त्र	एक पद	2200–4000	
4. 7–	अर्थशास्त्र	एक पद	2200–4000	

2. निम्नांकित नये पदों के सृजन की मांग को वेतन संदाय हेतु स्वीकार किया जाना सम्भव नहीं है। प्राचीन इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र.

3. इन पदों का सृजन महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत सूचनाओं तथा घोषणाओं की सत्यता पर विश्वास करते हुए किया जा रहा है। यदि भविष्य में उक्त सूचनाओं या घोषणाओं को सत्य नहीं पाया गया तो इन पदों पर वेतन संदाय के परिणाम स्वरूप शासन को जो अतिरिक्त व्ययभार वहन करना पड़ेगा उनको पूरा करने का दायित्व प्रबन्धतंत्र का होगा और

...2

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 60 ड. ।12। के अन्तर्गत उसकी वसूली की जा सकेगी।

4. उक्त पद इस आधार पर सृजित किये गये हैं कि जिन विषयों से ये संबंधित है उनमें स्वीकृति की अवधि के लिए विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त हो चुकी है अथवा सम्बद्धता विस्तारण/स्थायीकरण/ के लिए विश्वविद्यालय द्वारा माननीय कुलाधिपति एवं शासन को संस्तुति भेजी जा चुकी है। अस्थायी सम्बद्धता प्राप्त विषयों में कृपया नियुक्ति परिमोक्षण पर उस समय तक न की जाय जब तक कि सम्बद्धता स्थायी न हो जाये।

5. फिलहाल इन पदों को स्वीकृति 30 जून, 1989 तक के लिए प्रदान की जाती है। 30 जून, 1989 से आगे की अवधि के लिए इनके सततीकरण के निमित्त आप कृपया 31 मार्च, 1989 को संबंधित विषय की वास्तविक छात्र संख्या, विषय में वास्तव में कार्यरत शिक्षकों/डिमान्स्ट्रेटर्स की संख्या तथा पद के सततीकरण के औचित्य के संबंध में संबंधित विषय के समस्त शिक्षकों के साप्ताहिक वर्क लोड का आगणन निर्धारित प्रपत्र "स" में भेजें। यदि यह सूचना 30 मई, 1989 तक स्टाफ स्टेटमेन्ट के साथ प्राप्त नहीं होती है तो सृजित पदों का 30 जून 89 से आगे सततीकरण करने का निर्णय महाविद्यालय को 30.6.89 तक उपलब्ध न हो सकेगा। इस पद के प्रति कार्यरत शिक्षक का वेतन 30 जून 89 के उपरान्त शैक्षिक कार्यभार होने के बावजूद तब तक अनुमन्य नहीं होगा जब तक कि पद का सततीकरण नहीं हो जायगा। यदि पद के सततीकरण का औचित्य नहीं पाया जाता है और महाविद्यालय शिक्षक को कार्यरत बनाये रखता है तो वेतन भुगतान का उत्तरदायित्व प्रबन्धतंत्र का होगा।

6. जब तक निदेशालय द्वारा पद स्थायी न कर दिया जाय तब तक कृपया पदधारक को स्थायी न किया जावे।

7. इन पदों के प्रति आयोग की संस्तुति पर नियमानुसार नियुक्तियां की जायेंगी, जिनके संदर्भ में कुलपति के अनुमोदन की आवश्यकता न होगी। आयोग की संस्तुति प्राप्त न होने की दशा में आयोग अधिनियम की धारा 16 के प्राविधानों के अन्तर्गत निदेशालय द्वारा निर्गत निर्देशों का अनुपालन करते हुए यदि आवश्यक हुआ तो तदर्थ नियुक्तियां की जा सकेंगी परन्तु ऐसी

...3

तदर्थ नियुक्तियां संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा प्रदत्त पूर्वानुमोदन प्रदान किये जाने के उपरान्त की जाने पर ही वेतन संदाय हेतु मान्य होगी।

शासन की राजाज्ञा संख्या 3323/15-84|11|-3|59|/80 दिनांक 30 नवम्बर, 1984 में किये गये प्राविधान के अनुसार शासन द्वारा जो संस्थायें अल्पसंख्यक संस्था घोषित की गयी है ऐसी अल्पसंख्यक संस्थाओं के संबंध में नियुक्तियां विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 31 के अनुसार की जायेगी और इन नियुक्तियों हेतु आयोग अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय एवं आयोग के अनुमोदनोपरान्त ही वेतन संदाय हेतु मान्य होगी।

8. इन पदों के पदधारकों के वेतन संदाय के लिए स्वीकृत धनराशि का निकलन निम्नलिखित आय व्ययक लेखा शीर्षक के अन्तर्गत किया जायेगा:

त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम: "2202-सामान्य शिक्षा-आयोजनागत-03-विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा-800-अन्य व्यय-21-प्रदेश के महाविद्यालयों में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम लागू किया जाना-33-अन्य व्यय"

पर्वतीय क्षेत्र: "2551-पहाड़ी क्षेत्र-60-अन्य पहाड़ी क्षेत्र आयोजनागत-104-विश्वविद्यालय तथा अन्य उच्चतर शिक्षा-03-अशासकीय महाविद्यालयों को सहायता सहायक अनुदान-02-सहायता प्राप्त महाविद्यालयों को नये संकाय/विषय प्रारम्भ करने हेतु सहायता-14-सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता"

मैदानी क्षेत्र: "2202-सामान्य-शिक्षा-आयोजनागत-03-विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा-104-गैर सरकारी कालेजों और संस्थाओं को सहायता-04-स्नातक तथा स्नातकोत्तर महाविद्यालयों को नये संकायों एवं नये विषयों को आरम्भ करने हेतु सहायक अनुदान-14-सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता"

भवदीय

|वीरेन्द्र सिंह|

सहायक शिक्षा निदेशक। \
कृते शिक्षा निदेशक |उ0प्र0|उ0प्र0|।

..4